



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतिष्ठित से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

क्रमांक 5617
पृ. 900
किताब 15
पृ. 885
900

क्र. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/पृ. 17, 1905
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

9/1/84

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मह. मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1983

सांकांनि. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सर्व लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1983 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्—

उक्त विनियमों की प्रस्तावना में—

“शक्तियों का प्रयोग करते हुए शब्दों के पश्चात् ‘सर्व लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए’ शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायें।

मूल विनियम, भारत के राजपत्र 1969, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में अधिसूचना सांकांनि. सं. 2404, तारीख 11-10-1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए

क्रम सं.	सांकांनि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1.	सांकांनि. 1230	6-10-1979
2.	सांकांनि. 1418	1-12-1979
3.	सांकांनि. 257	8-3-1980
4.	सांकांनि. 977	27-9-1980
5.	सांकांनि. 832	12-9-1981
6.	सांकांनि. 388	21-5-1983
7.	सांकांनि. 640	

[क्र.सं. 39019/3/82-प्रशा.सं.सं. 1/83
मंजला गुप्ता, निदेशक (सहायक)

(1)

Attested

31/1/84
31/1/84
31/1/84

the post of Film Projector Operator, in column 9, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Age : No
Educational
Qualification : Yes."

[File No. A-12024(1)/83-Admn. I]

P. C. SHARMA, Under Secy.

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1983

सांकांनि० 12.—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऐसे आक्षेप या सुझाव पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 1983 है।

2. वायुयान नियम, 1937 में, अनुसूची 4 में, अनुभाग 3 में, पैरा 3.1.2.2 में, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) करतब उतनी ऊंचाई पर किए जाएंगे जिस पर भूमि के ऊपर 600 मीटर (2000 फीट) से अत्यन्त ऊंचाई पर या उतनी उच्चतर ऊंचाई पर जो करतब प्रवर्ग में के किसी वायुयान की बाबत जारी किए गए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं, परिचालन पूरा किया जा सके"।

[फाइल सं० ए०बी०-11012/3/83-ए]

बी०एन० झा, निदेशक

पाद टिप्पण :—

मूल नियम (वायुयान नियम, 1937) अधिसूचना सं० V-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 14th December, 1983

G.S.R. 12.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the draft

will be taken into consideration after a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These Rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 1983.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule IV, in Section 3, in para 3.1.2.2, for clause (iv) the following clause shall be substituted, namely :—

"(iv) the aerobatics shall be commenced at such a height that will permit completion of the manoeuvre at a height of not less than 600 metres (2000 ft.) above the ground or above such higher height as may be specified in the Certificate of Airworthiness issued in respect of an aircraft in aerobatic category."

[F. No. Av. 11012/3/83-A.]

B. N. JHA, Director

FOOT NOTE

Principal Rules (Aircraft Rules, 1937) published vide notification No. V-26 dated 23rd March, 1937.

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1983

सांकांनि० 13.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (क) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1983 है।

(ख) यह एक जनवरी, 1984 से प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में, मद (96), के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(97)—भारत के राजपत्र, तारीख 4-6-1983 को भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां०/२४५९ तारीख 21 मई, में विनिर्दिष्ट मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में ऐसबेस्ट पर आधारित उद्योगों के बारे में।"

[संख्या एस-35016/1/81-पी०एफ-2]

ए०के० भट्टा राई, अवर सचिव

Attested

21/11/83
अवर सचिव, श्रम और पुनर्वासि विभाग,
नई दिल्ली-110001

टिप्पण : सांकांनि० 1509 तारीख 9 सितम्बर, 1952 के द्वारा निश्चित मुख्य स्कीम के पैरा 1 का तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

क्रमांक	कांनि०/सांकांनि० सं०	तारीख
1	2	3
1.	कांनि०/सां० 2035	28-10-1953
2.	" 1567	4-10-1956
3.	" 2027	3-9-1956
4.	" 815	9-3-1957
5.	" 1363	26-4-1957
6.	" 2146	21-6-1957
7.	" 3376	10-10-1957
8.	" 3565	31-10-1957
9.	" 3972	4-12-1957
10.	" 488	4-2-1958
11.	सांकांनि० 261	10-4-1958
12.	" 583	8-5-1959
13.	" 362	6-3-1960
14.	" 718	17-6-1960
15.	" 748	24-6-1960
16.	" 1444	24-11-1960
17.	" 1548	24-12-1960
18.	" 680	5-5-1961
19.	" 783	5-6-1961
20.	" 992	24-6-1961
21.	" 1033	8-8-1961
22.	" 1456	24-11-1961
23.	" 3087	20-12-1961
24.	" 417	19-3-1962
25.	" 460	3-4-1962
26.	" 887	23-6-1962
27.	" 1299	19-6-1962
28.	" 1321	27-9-1962
29.	" 1757	12-12-1962
30.	" 504	18-3-1963
31.	" 663	10-4-1963
32.	" 666	15-4-1963
33.	" 853	10-5-1963
34.	" 1401	9-8-1963
35.	" 1435	22-8-1963
36.	" 1606	27-9-1963
37.	" 1688	15-10-1963
38.	" 1873	23-11-1963
39.	" 1845	28-11-1963
40.	" 1982	18-12-1963
41.	" 68	4-1-1964
42.	" 93	8-1-1964
43.	" 127	20-1-1964
44.	" 863	6-6-1964

1	2	3
45.	सांकांनि० 864	6-6-1964
46.	" 1238	1-9-1963
47.	" 1500	8-10-1964
48.	" 1845	21-12-1964
49.	" 71	1-1-1965
50.	" 106	2-1-1965
51.	" 475	19-3-1965
52.	" 823	1-6-1965
53.	" 969	6-7-1965
54.	" 997	15-7-1965
55.	" 1241	18-8-1965
56.	" 1837	9-12-1965
57.	" 170	20-1-1966
58.	" 997	17-6-1966
59.	" 1187	21-6-1966
60.	" 1412	12-9-1966
61.	" 553	11-4-1967
62.	" 1103	12-7-1967
63.	" 1268	12-8-1967
64.	" 1645	23-10-1967
65.	" 1795	23-11-1967
66.	" 1867	20-11-1967
67.	" 1592	24-8-1968
68.	" 2083	22-11-1968
69.	" 1017	20-4-1969
70.	" 1510	11-6-1969
71.	" 1512	11-6-1969
72.	" 14	23-12-1969
73.	" 731	17-5-1971
74.	" 263	7-2-1972
75.	" 506	18-3-1972
76.	" 1490	15-11-1972
77.	" 1219	17-4-1973
78.	" 1039	17-4-1973
79.	" 843	19-7-1973
80.	" 1249	2-11-1973
81.	" 321	15-5-1974
82.	" 1255	12-11-1974
83.	" 1400	21-11-74
84.	" 1401	21-12-74
85.	" 268	26-12-74
86.	" 984	26-7-75
87.	" 1355	3-9-76
88.	" 305	19-2-77
89.	" 571	12-4-77
90.	" 677	23-5-77
91.	" 1523	12-12-78

Attested *Charley*

जयपुर, दिनांक 9/1/1984
विशेष अधिकारी, जयपुर, दिनांक 9/1/1984

1	2	3	1	2	3
92.	सं० का० नि० 462	9-3-79	25.	GSR 460	3-4-1962
93.	" 982	13-7-79	26.	GSR 887	23-6-1962
94.	" 605	24-5-1980	27.	GSR 1299	19-3-1962
95.	" 592(ई)	22-10-80.	28.	GSR 1321	27-9-1962
96.	" 614(ई)	31-10-80	29.	GSR 1757	12-12-1962
97.	" 662(ई)	27-11-80	30.	GSR 504	18-3-1963
98.	" 642(ई)	5-12-1981	31.	GSR 663	10-4-1963
99.	" 437	8-5-1982	32.	GSR 666	15-4-1963
100.	" 591	3-7-1982	33.	GSR 853	10-5-1963
			34.	GSR 1401	9-8-1963
			35.	GSR 1433	22-8-1963
			36.	GSR 1606	27-9-1963
			37.	GSR 1688	15-10-1963
			38.	GSR 1873	23-11-1963
			39.	GSR 1845	28-11-1963
			40.	GSR 1982	18-12-1963
			41.	GSR 68	4-1-1964
			42.	GSR 93	8-1-1964
			43.	GSR 127	20-1-1964
			44.	GSR 863	6-6-1964
			45.	GSR 864	6-6-1964
			46.	GSR 1288	1-9-1964
			47.	GSR 1500	8-10-1964
			48.	GSR 1845	21-12-1964
			49.	GSR 71	1-1-1965
			50.	GSR 106	2-1-1965
			51.	GSR 475	19-3-1975
			52.	GSR 823	1-6-1965
			53.	GSR 969	6-7-1965
			54.	GSR 997	15-7-1965
			55.	GSR 1241	18-8-1965
			56.	GSR 1837	9-12-1965
			57.	GSR 170	20-1-1965
			58.	GSR 997	17-6-1966
			59.	GSR 1187	21-7-1966
			60.	GSR 1412	12-9-1966
			61.	GSR 553	11-4-1967
			62.	GSR 1103	17-7-1967
			63.	GSR 1268	21-8-1967
			64.	GSR 1645	23-10-1967
			65.	GSR 1695	20-11-1967
			66.	GSR 1857	20-11-1967
			67.	GSR 1592	24-8-1968
			68.	GSR 2083	22-11-1968
			69.	GSR 1017	20-4-1969
			70.	GSR 1510	11-6-1969
			71.	GSR 1512	11-6-1969
			72.	GSR 14	23-12-1969
			73.	GSR 731	17-5-1971
			74.	GSR 263	7-2-1972
			75.	GSR 506	18-3-1972
			76.	GSR 1490	15-11-1972
			77.	GSR 1219	17-4-1973
			78.	GSR 1039	17-3-1973
			79.	GSR 843	19-7-1973
			80.	GSR 1249	2-11-1973
			81.	GSR 321	15-5-1974
			82.	GSR 1255	12-11-1974
			83.	GSR 1400	21-12-1974
			84.	GSR 1401	21-12-1974
			85.	GSR 268	26-12-1974
			86.	GSR 984	26-7-1975
			87.	GSR 1355	3-9-1976
			88.	GSR 305	19-2-1977
			89.	GSR 571	12-4-1977
			90.	GSR 677	23-5-1977
			91.	GSR 1523	12-12-1978
			92.	GSR 462	9-3-1979
			93.	GSR 982	13-7-1979
			94.	GSR 605	24-5-1980
			95.	GSR 592(E)	22-10-1980
			96.	GSR 614(E)	31-10-1980
			97.	GSR 662(E)	27-11-1980
			98.	GSR 642(E)	5-12-1981
			99.	GSR 437	8-5-1982
			100.	GSR 591	3-7-1982

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 17th December, 1983

G.S.R. 13.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme 1952, namely :—

1. (a) This scheme may be called Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1983.

(b) It shall come into force with effect from the 1st day of January, 1984.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme 1952 in paragraph 1, in sub-paragraph (3), in clause (b), after item (xcvi), the following item shall be added, namely :—

"(xcvii) as respects the industries based on asbestos as principal raw material, specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 2459 dated the 21st May, 1983 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 4th June 1983.

[No. S. 35016/1/81-PF. III]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

Note : The para 1 of the Principal Scheme framed vide S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 was subsequently amended by :—

S. No.	S.R.O./G.S.R. No.	Dated the
1	2	3
1.	SRO 2035	28-10-1953
2.	SRO 1567	4-7-1956
3.	SRO 2027	3-9-1956
4.	SRO 815	9-3-1957
5.	SRO 1363	26-4-1957
6.	SRO 2146	21-6-1957
7.	SRO 3376	10-10-1957
8.	SRO 3565	31-10-1957
9.	SRO 3972	4-12-1957
10.	SRO 488	4-2-1958
11.	GSR 261	10-4-1958
12.	GSR 583	8-5-1959
13.	GSR 362	6-3-1960
14.	GSR 718	17-6-1960
15.	GSR 748	24-6-1960
16.	GSR 1444	24-11-1960
17.	GSR 1548	24-12-1960
18.	GSR 680	5-5-1961
19.	GSR 783	5-6-1961
20.	GSR 992	24-7-1961
21.	GSR 1033	8-8-1961
22.	GSR 1456	29-11-1961
23.	GSR 3087	20-12-1961
24.	GSR 417	19-3-1962